



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1938 (श०)

(सं० पटना 698) पटना, शुक्रवार, 26 अगस्त 2016

परिवहन विभाग

अधिसूचना

24 अगस्त 2016

सं० 06 / CMT विविध-03 / 2013-5148 / परि०—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा देश में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के दृष्टिगत रात्रिकालीन परिवहन को सुदृश्य बनाने हेतु केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 104 में संशोधनोंपरांत अधिसूचना सं० 784 (अ) दिनांक 12.11.2008 के माध्यम से समस्त परिवहन यानों में निर्धारित मानक एवं डिजाईन के रिफ्लेक्टर टेप लगाया जाना अनिवार्य किया गया है।

केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 104 के प्रवधानों एवं केन्द्रीय संशोधित अधिसूचना के आलोक में बिहार राज्य में परिचालित परिवहन यानों/वाहनों में रिफ्लेक्टर टेप (परावर्तक टेप) लगाये जाने के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है—

1. तिपहिया और मोटर साइकिलों से भिन्न 1 अप्रैल, 2006 को और उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक मोटर यान जिनमें ट्रेलर और अर्द्ध ट्रेलर भी सम्मिलित हैं, में उनके पीछे दो परावर्तक अथवा दोनों सिरों पर एक-एक परावर्तक लगाया जाएगा। प्रत्येक मोटर साइकिल में पीछे न्यूनतम एक लाल रिफ्लेक्टर परावर्तक लगाया जाएगा।

परन्तु यह कि निम्न वाहनों के सम्बन्ध में—

- (i) प्रवर्ग एन-1 तथा प्रवर्ग एन-2, 3.5 टन और उससे ऊपर किन्तु 7.5 टन कुल वाहन वजन(G.V.W.), जिन्हे 1 अप्रैल, 2009 को और इसके पश्चात् विनिर्मित किया गया है, बॉडी के चौड़ाई को क्रॉस करते हुए सामने एक घेत परावर्तक पट्टी और पीछे एक लाल परावर्तक पट्टी लगाई जाएगी और सामने व पीछे लगाई गई पट्टी की चौड़ाई 20 मि०मी० से कम नहीं होगी और भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्सदृश्य बी०आ०इ०एस० विनिर्दिष्टीकरण के अधिसूचित किए जाने तक ए०आ०इ०एस० : ०९०-२००५ के संलग्नक 4,5 व 6 की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा;
- (ii) प्रवर्ग एन-3 तथा प्रवर्ग एन-2, 7.5 टन और उससे ऊपर वाले कुल वाहन वजन(G.V.W.), जिसे 1 अप्रैल, 2009 को या उसके बाद विनिर्मित किया गया है, पर सामने बॉडी की चौड़ाई को क्रॉस करते हुए एक श्वेत परावर्तक पट्टी लगाई जाएगी और सामने वाली पट्टी की चौड़ाई 50 मि०मी० से कम नहीं होगी और भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्सदृश्य बी०आ०इ०एस० विनिर्दिष्टीकरण के अधिसूचित किए जाने तक ए०आ०इ०एस० : ०९०-२००५ के संलग्नक 4,5 व 6 के अपेक्षाओं के अनुरूप होगा;

- (iii) ट्रेलर या सेमीट्रेलर और प्रवर्ग एन-2, 7.5 टन और उससे अधिक कुल वाहन वजन(G.V.W.), व ट्रेलर अथवा सेमीट्रेलर सहित प्रवर्ग एन-3, जिसे 1 अप्रैल, 2009 को या उसके बाद विनिर्मित किया गया है, पर पीछे तथा किनारे (पार्श्व) में भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्सदृश्य बी0आई0एस0 विशिष्टीकरण के अधिसूचित किए जाने तक ए0आई0एस0 : 090-2005 के अनुसार परावर्तक रेखीय चिन्हाँकन (reflective contour marking) किया जाएगा, के अनुसार चिपकाये जायेंगे।
- (iv) प्रवर्ग एम-2 व एम-3, जिसे 1 अक्टूबर 2009 को या उसके पश्चात विनिर्मित किया गया है, पर सामने श्वेत परावर्तक पटटी तथा पीछे लाल परावर्तक पटटी बॉडी की चौड़ाई को क्रॉस करते हुए लगाई जाएगी तथा एम 3 प्रवर्ग के वाहनों के किनारे बॉडी की लम्बाई को क्रॉस करते हुए पीली परावर्तक पटटी लगाई जाएगी। किन्तु इस प्रकार लगाई गई पटटी की चौड़ाई 50 मि0मी0 से कम नहीं होगी और भारतीय मानक व्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) के अधीन तत्सदृश्य बी0आई0एस0 विशिष्टीकरण के अधिसूचित किए जाने तक ए0आई0एस0 090-2005 के संलग्नक 4.5 व 6 के अनुसार होंगी।

2. उपरोक्त वर्णित प्रकार से लगायी जानेवाली परावर्ती टेप केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 104 के उप नियम (1),(2),(3),(4),एवं (5),में वर्णित वाहनों पर लगाये गए रिफ्लेक्टर के अतिरिक्त होंगे।

3. वाहनों पर लगाये जाने वाले सभी परावर्तक टेप AIS:090-2005 के संलग्नक 4.5,6 की अपेक्षा के अनुरूप मानक के होंगे और केन्द्रीय मोटरयान, नियमावली 1989 के नियम 126 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट एजेंसियों / अभिकरणों में से किसी अभिकरण द्वारा प्रमाणित होंगे। इसके भिन्न किसी भी प्रकार के परावर्तक टेप मान्य नहीं होंगे।

4. उपरोक्त कंडिका 3 के अनुसार परावर्ती टेप निर्माता उन सभी कम्पनी जो केन्द्रीय मोटरयान, नियमावली 1989 के नियम 126 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट एजेंसियों/ अभिकरणों में से किसी अभिकरण द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के साथ राज्य के अन्दर बिक्री हेतु राज्य परिवहन आयुक्त के समक्ष आवेदन समर्पित करेंगे उन्हें समीक्षोपरान्त विहित आवेदन शुल्क अदा करने पर बिक्री की अनुमति दी जाएगी। राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार से पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना कोई भी परावर्ती टेप निर्माता कम्पनी राज्य के अन्दर अपने उत्पाद की बिक्री नहीं करेगा।

5. वाहनों के निबंधन एवं फिटनेश जाँच के समय सक्षम जाँच प्राधिकार यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन में उपरोक्त वर्णित प्रकार से परावर्ती टेप अनिवार्य रूप से चिपकाया हुआ है।

6. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा एतद् संबंध में समय-समय पर दिये गए निदेश का अनुपालन किया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 698-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>